न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 78/2026

आदेश

22.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त मोहर लाल की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 411 एवं बिहार खनिज अधिनियम की धारा 56(1) तथा 56(2) एवं परर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15के अधीन दर्ज दिनारा(भानस) थाना कांड सं0 398/2022 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में श्री राकेश रंजन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र उपाध्याय को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.11.2022 को सूचक खान निरीक्षक, रोहतास के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह 01.30 बजे भानस ओ.पी. के पुलिस बल के साथ संयुक्त छापेमारी के क्रम में एन.एच 30, ग्राम–बेलवैया स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक ओवरलोड ट्रक संख्या–JH09F4158 को उसके चालक सत्येन्द्र यादव सहित पकड़ा था। जांच के क्रम में ट्रक पर लदे लगभग 791 CFT बालू के संबंध में कोई वैध परिवहन चालान अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः ट्रक को जप्त कर लिया गया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि अवैध रूप से बालू का परिवहन कर बिहार सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई थी, जो वाहन मालिक एवं चालक से वसूलनीय है। उक्त कृत्य बिहार खनिज नियमावली, 2019 के नियम 11 एवं 18(दण्डनीय नियम 56), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं 411 के अंतर्गत दण्डनीय बताया गया है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया था। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त इस वाद में जप्त ट्रक का स्वामी है और ट्रक के चालक द्वारा उसकी अनुमति के बिना अवैध बालू का परिवहन किया गया था, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। अतः इस कृत्य के लिए ट्रक का चालक ही जिम्मेदार है। आवेदक अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया है कि ट्रक उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है, जिसके जप्त हो जाने से उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0 – 78/2026
दिनारा(भानस) थाना कांड सं0–398/2022

लगातार
22.04.2026

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि इस वाद के सह अभियुक्त(चालक) को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। अतः आवेदक अभियुक्त को भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करनी चाहिए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अपने वाहन से अवैध बालू का परिवहन कर बिहार सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाने का अभियोग है। इस वाद के सह अभियुक्त सत्येन्द्र यादव को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक अभियुक्त के आत्मसमर्पण की स्थिति में आवेदक अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार सुनवाई कर स्वतंत्र रूप से, इस आदेश से अप्रभावित होकर, समुचित आदेश पारित करेगी। उपरोक्त प्रेक्षण के साथ आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन को **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।